

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक : F.2(1)AS/I/Cell/2019/ 2208

दिनांक :- 22-08-2019

--: आदेश :-

निर्माण कार्यों पर उत्पन्न विचलन आधिक्य कार्य, अतिरिक्त आईटम कार्य, समय सीमा में वृद्धि एवं कार्य विज्ञा के प्रकरण जिनकी नियमानुसार स्वीकृति सक्षमता प्रशासनिक विभाग में निहित है, की जांच व समीक्षा हेतु मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक कमेटी का गठन किया जाता है। यह कमेटी प्रकरण जांच/समीक्षा उपरान्त टिप्पणी के साथ प्रकरण को स्वीकृत/अनुमोदन करने के संबंध में अनुशंसा करेगी :-

1. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर - सदस्य
2. संबंधित संभाग के मुख्य अभियन्ता/अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग - सदस्य सचिव
3. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर - सदस्य
4. विशेषाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर - सदस्य

उक्त कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय की स्वीकृति शासन सचिव, जल संसाधन राजस्थान, जयपुर के अनुमोदन उपरान्त जारी की जावेगी।

उक्त आदेश आई.डी. क्रमांक CMO/F19003106 दिनांक 20.08.2019 से प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर जारी किया गया है।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : F.2(1)AS/I/Cell/2019/ 2209 - 2215

दिनांक :- 22-08-2019

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव वास्ते शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव वास्ते मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा/उत्तर, हनुमानगढ/नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर।

उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर